

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

Rs.20

₹.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL



UTTARANCHAL

00AA 335799

प्रारूप-20
नियम 4 क देखिए

49 स/2 निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम) विश्वानु सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकार के समक्ष

अपनी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ-पत्र में अनाप राम पुत्र/पुत्री/पत्नी गजानन राम

अथ 61 वर्ष जो आ-रजद-आइ वि-कागोचार नि-अल्मिया का/की निवासी है और उपरोक्त निर्वाचन से अनर्हता से प्रतिज्ञा करता है/करती है/शपथ पर प्रतिबद्ध रहने का वादा करता है/करती है -

यदि ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कालांतर से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं है जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अनिवासी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:

- (i) मामला/प्रथम रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नही
- (ii) पुलिस थाना (थानों) जिला (जिलों) राज्य त्नी
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अनर्हता आरोपित किया गया है नही
- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई नही
- (v) कारीख (कारिखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे नही
- (vi) क्या सभी या कोई कारीखरी किसी उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी गई है/हैं नही

- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से निम्न के लिए सिद्धोप उद्धृत्य गया है/नहीं उद्धृत्य गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कालांतर से दंडविध किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अनिवासी शपथ का रूप में सिद्धोप उद्धृत्य गया और दंडविध किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।)

- (i) मामला प्रथम रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नही
- (ii) न्यायालय, जिनके (जिनके) द्वारा दंडविध किया गया है नही



Handwritten signature in blue ink.

- (iii) पुलिस थाना (थाने)..... जिला (जिले)..... राज्य..... नहीं
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्था कमी आरोपित किया गया है..... नहीं
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे..... नहीं
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए है..... नहीं

स्थान: रानीखेत
 तारीख: 10-1-12

[Signature]
 अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन



मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

रानीखेत स्थान पर आज तारीख 10-1-12 को सत्यापित किया।

[Signature]
 अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी: इस प्ररूप के वे स्तंभ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिए जाएं।

the D. Anand Kumar
 of Germal farm vill. Bahadurgarh
 Re. Bahadurgarh Teh. Sahiwal Distt.
 that I have read and understand the contents
 True and correct as stated by the said
 the N. G. Germal Bahadurgarh on 10/1/12

(8)

[Signature]
 NOTARY HQ Bahadurgarh
 ANANDHET (Anand)
 10/1/12

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विद्यान सभा

(सदन का नाम)

के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, अनीप राम

पुत्र/पुत्री/पत्नी

उमाल राम

आयु 61 वर्ष, जो ग्रा.सं.सं.गडवाडा पी.के.वे.धार, जि.कन्नौर का/की निवासी हूँ
और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर
निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1- मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध
(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित
किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी
प्रस्तुत करेगा/करेगी):

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नहीं

(ii) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले) राज्य नहीं

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त
विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है नहीं

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे नहीं

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई
है/हैं नहीं

2- मुझे किसी अपराध (अपराधों)(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) (1951 का 43) की धारा 8
की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध
(अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक
के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह
निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

(i) मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नहीं

(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है नहीं

(7)



[Handwritten signature]